

मध्यप्रदेश शासन  
चिकित्सा शिक्षा विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

Index Medical College & R. C.

RECEIVED

13 JAN 2018

85.77

आदेश

भोपाल, दिनांक 30 दिसम्बर, 2017

क्र. एफ 5-73/2015/1/55

राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद अधिनियम 2000 (क्रमांक 1, सन 2001) की धारा-24 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में करते हुए मंत्रक वेलफेयर सोसायटी द्वारा संचालित इंडेक्स मेडिकल कालेज हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, को इन्दौर जिले में निम्नानुसार विषय तथा प्रवेश संख्या के आधार पर शिक्षण सत्र 2017-18 (एक वर्ष) के लिए पैरामेडिकल पाठ्यक्रम संचालित करने की सशर्त अस्थायी अनुज्ञा प्रदान की जाती है।

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	डिग्री / डिप्लोमा / प्रमाण --पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
01	MEDICAL LAB. TECHNICIAN	DEGREE	50
02	BACHELOR OF PHYSIOTHERAPY	DEGREE	50
03	BACHELOR SPEECH THERAPY	DEGREE	50
04	MEDICAL LAB. TECHNICIAN	DIPLOMA	50
05	DIALYSIS TECHNICIAN	DIPLOMA	50
06	O. T. TECHNICIAN	CERTIFICATE	50
07	X-RAY TECHNICIAN	CERTIFICATE	50
08	ULTRA SOUND .TECHNICIAN	CERTIFICATE	50
09	C.T.M.R.I TECHNICIAN	CERTIFICATE	50

आवश्यक निर्देश :-

1. संस्था को म.प्र. सह-चिकित्सीय परिषद क समस्त नियम-विनियम अनुसार प्रवेश तथा अन्य कार्यवाही संपन्न कर परिषद द्वारा जारी पाठ्यक्रम अनुसार शिक्षण करवाना होगा। पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों में संस्था द्वारा परिषद द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि 30 दिसम्बर, 2017 तक छात्रों के प्रवेश किए जा सकेंगे।
2. मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद के नियम-विनियम अनुरूप निर्धारित संख्या द्वारा महाविद्यालय में उपयुक्त/योग्य शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति सत्र प्रारंभ होने के पूर्व की जाना आवश्यक होगा तथा परिषद को यथाशीघ्र सूचित किया जाएगा।
3. संस्था द्वारा म.प्र. सह-चिकित्सीय परिषद द्वारा बनाये गये प्रवेश नियमों के अनुसार ही छात्रों के प्रवेश की कार्यवाही की जावेगी।
4. शासन/परिषद की ओर से समय-समय पर किए जाने वाले सामान्य एवं आकरिमक निरीक्षण के दौरान संस्था द्वारा आवश्यक सहयोग किया जाएगा।
5. संस्था को उपरोक्त समस्त सह-चिकित्सीय पाठ्यक्रमों में प्रवेशित छात्रों की विषयवार सत्यापित सूची (छात्र का नाम, पिता/पति का नाम, शैक्षणिक अर्हता, प्रवेशित पाठ्यक्रम का नाम, प्रवेश क्र. एवं दिनांक, जन्मतिथि, निवास का पता, जाति, मूल निवासी, आदि) निर्धारित तिथि तक म.प्र. सह-चिकित्सीय परिषद को दिनांक 15 जनवरी 2018 तक अनिवार्य रूप से एम.पी.ऑनलाईन के माध्यम से जामा करानी होगी। निर्धारित तिथि के पश्चात् नियमानुसार परिषद प्रतिदिन प्रति छात्र एक हजार का विलम्ब शुल्क प्राप्त कर सकेगी। जिसके लिये संस्था जिम्मेदार होगी।
6. संस्था द्वारा प्रवेशित छात्रों की सूची परिषद कार्यालय में जमा करते समय शासन द्वारा जारी इस आदेश की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
7. मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद द्वारा पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों के लिए निर्धारित अधिकतम शिक्षण शुल्क के अनुसार ही संस्था को कार्यवाही करना आवश्यक होगा।

Received  
Dr. RAVINDRA KOLAE  
15/2/18

8. उपरोक्त आदेश जारी होने के एक सप्ताह के भीतर संस्था को म.प्र.सह-चिकित्सीय परिषद के पक्ष में पांच लाख की बैंक गारंटी (न्यूनतम वैधता अवधि दो वर्ष) निष्पादित कर मूल प्रति म.प्र. सह-चिकित्सीय परिषद को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
9. डिप्लोमा सह-चिकित्सीय पाठ्यक्रमों में छात्रों के प्रवेश के पूर्व संस्था को संबंधित विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करना आवश्यक होगा।
10. मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद अधिनियम 2000 (क्रमांक 1, सन 2001) की धारा-44 (1) एवं (2) में उल्लेखित प्रावधानों के परिपेक्ष्य में सह-चिकित्सीय पाठ्यक्रम उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को परिषद में नामांकन (पंजीयन) हेतु संस्था स्तर से समस्त आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाए। इस प्रकार संस्था से उत्तीर्ण छात्रों को मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय नामांकन (पंजीयन) की सम्पूर्ण जबाबदारी संस्था की होगी।
11. मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद अधिनियम 2000 (क्रमांक 1, सन 2001) की धारा-33 (1) (2) एवं (3) में उल्लेखित प्रावधानों के परिपेक्ष्य में संस्था में पूरे किए जाने वाले पाठ्यक्रम और दी जाने वाली परीक्षा अथवा उसके द्वारा ली गई परीक्षा में अभ्यर्थियों से अपेक्षित प्रवीणता या संस्था में कर्मचारीवृन्द, उपस्कर, वास-सुविधा, प्रशिक्षण तथा उसमें दिये जाने वाले शिक्षण और प्रशिक्षण की अन्य सुविधाएं मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद द्वारा विहित स्तरों के अनुरूप नहीं पाए जाने पर सह-चिकित्सीय संस्था को सह-चिकित्सीय पाठ्यक्रमों के संचालन बाबत दी गई अनुज्ञा/मान्यता किसी भी समय समाप्त की जा सकेगी।
12. निर्धारित समयावधि में बैंक गारंटी की प्रति मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद में प्रस्तुत नहीं करने पर संस्था द्वारा सह-चिकित्सीय पाठ्यक्रमों में प्रवेशित छात्रों को परिषद द्वारा सह-चिकित्सीय पाठ्यक्रमों में प्रवेशित छात्रों को परिषद द्वारा आयोजित परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

(शर्मिला ठाकुर)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन


चिकित्सा शिक्षा विभाग

भोपाल, दिनांक 30 दिसम्बर, 2017

पृष्ठांकन क्र. एफ 5-73/2015/1/55

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. विशेष सहायक, मान. मंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग, भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल
3. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश, सतपुडा भवन भोपाल
4. आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल
5. आयुक्त, आयुष, मध्यप्रदेश, भोपाल
6. आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर
7. कलेक्टर, जिला- इन्दौर
8. कुलसचिव, मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर
9. कुलसचिव, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर
10. अधिष्ठाता, महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर
11. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला- इन्दौर
12. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला- इन्दौर
13. जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण जिला- इन्दौर
14. रजिस्ट्रार मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद, तृतीय तल, प्लेटिनम प्लाजा, भोपाल
15. Director, National Information Center, Madhya Pradesh, State Center Vindhyaachal Bhawan, Bhopal
16. संचालक, इंडेक्स मेडिकल कालेज हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर ग्राम मोरद हाट खुडेल नेमावर रोड नेशनल हाईवे 59-ए इन्दौर
17. आदेश फाईल



अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

चिकित्सा शिक्षा विभाग

# MALWANCHAL UNIVERSITY

INDORE (Madhya Pradesh)

[Unit of MAYANK WELFARE SOCIETY]

(A Private University Established by the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalay Adhiniyam No.17 of 2007)

Registration no.: MPPU20

**University Address:**

Index City, NH-59A,  
Nemawar Road,  
District Indore-452016 (M.P.)  
Ph./Fax : 0731-4013656



**Corporate Office Address:**

104, Trishul Apartment, 5, Sanghi Colony,  
A.B. Road, Indore-452008 (M.P.)  
Ph./Fax : 0731-4215757  
E.mail: info@malwanchaluniversity.com  
Website : www.malwanchaluniversity.com

Constituent Units : *Index* Medical/Dental/Nursing/Paramedical Institutions

Ref. No. MU/RO/2018/39

Date: 18/01/2018

## TO WHOM IT MAY CONCERN

This is to certify that Institute of Paramedical Sciences, Indore is affiliated to the Malwanchal University, Indore and recognized by the Paramedical Council of India, New Delhi. The following courses/ subjects are taught in the said college as per approval.

S.N.	Name of the Course(s)	Duration in years	Affiliation		Period of validity for the year (s)
			Permanent	Temporary	
1	BPT	4 ½		Temporary	2017-18
2	BMLT	3		Temporary	2017-18
3	DMLT	2		Temporary	2017-18

**Registrar**  
**Malwanchal University,**  
**Indore (M.P.)**